

न्यायालय लहसीलद्वार उदयपुरवादी

मुं नं. 3/17

निर्णय दिनांक 23-5-17

निर्णय

श्री बनवारीलाल पुं मंगलाराम जाति मेधवास निवासी उदयपुरवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कुलव्य मेधवास कुंभुं के अपील सं. 16/2016 निर्णय दिनांक 30-11-16 के अनुसार ग्राम उदयपुरवादी के नं० सं. 1108 दिनांक 19-1-15 के मंगलाराम पुं रामधुव के विरासत का नामांकरण कर मंगलाराम के विधिब वारिसान के नाम नामांतरण गुणवत्ता के आधार पर निर्णय पारित हेतु प्राप्त हुआ। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार कर साक्ष्य सबूत हेतु नोटिस जारी किए पत्रावली हलक से स्व. मंगलाराम पुं रामधुव के विधिब वारिसों की जांच न्यायी गई। पत्रावली हलक ने स्व. मंगलाराम का एक भाग वारिस बनवारीलाल के अपनी जांच रिपोर्ट में बतया।

अतः स्व. मंगलाराम पुं रामधुव मेधवास निवासी उदयपुरवादी के ख. 5 1917 रुक 17.64 हेक्टर के हिस्से पर नं० सं. 1108 निर्णय दिनांक 22-1-05 के निरस्त कर स्व. मंगलाराम के हिस्से पर बनवारीलाल पुं स्व. मंगलाराम के म मेधवास निवासी उदयपुरवादी के नाम नामां होने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23-5-17 के सुष न्यायालय

सुनाया गया

(3)

लहसीलद्वार उदयपुरवादी